


| | | |
|-----------------------|---|---|
| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज खेमसिंह जोधा, ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जोधपुर (राज.) 342802 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं ,उपखण्ड अधिकारी रोहट प्रथम सूचना अपील संख्या :- 86/2022 जीसीएमएस नं. :- 2022/301 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>23.06.22</p> | <p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 03.03.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट से चाही गई थी परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट ने अपने कार्यालय के पत्रांक/ RTI/2022/232 दिनांक 21.06.2022 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना, उनके कार्यालय के जरिये पत्रांक 744 दिनांक 01.04.2022 के उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 23.06.22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p style="text-align: center;">  (नमित मेहता) प्रथम अपीलार्थी अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p> | |